भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1294

सोमवार, 24 जुलाई 2017/ 2 श्रावण, 1939 (शक)

समान कार्य के लिए समान वेतन

1294. श्री कंवर सिंह तंवर:

श्री हरि मांझी:

श्री इन्नोसेन्ट:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने यह विनिर्णय दिया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन को लागू किया जाना चाहिए तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय में यह भी दोहराया गया है कि किसी भी कल्याणकारी राज्य में नियमित तथा नैमित्तिक कामगारों के वेतन में कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए यदि वे दोनों कार्यों की प्रकृति समान हो तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ठेका कामगारों को उनके नियोजक द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन से वंचित किया जा रहा है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने समुचित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है/करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में नैमित्तिक/ठेका कामगारों सहित कामगारों के कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा हेतु अन्य क्या उपाय किए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): 2013 की सिविल अपील संख्या 213 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ मुद्दा निम्नानुसार था:

"क्या अस्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारी (दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, तदर्थ कर्मचारी, नैमितिक आधार पर नियुक्त कर्मचारी, ठेका कर्मचारी तथा इनके जैसे अन्य कर्मचारी) स्वीकृत पदों पर नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्य के समान कार्य करने

पर मंहगाई भत्ते (समय-समय पर यथा संशोधित) सहित न्यूनतम नियमित वेतन मान के पात्र हैं। ”

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि:

“इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता, कि ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ का सिद्धान्त सभी संबधित अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होगा, ताकि उन्हें समान पदों वाले नियमित रूप से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन मान के समतुल्य वेतन का दावा करने का अधिकार दिया जा सके।”

(ग) और (घ): जहां तक ठेका श्रमिकों का संबंध है, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियम ठेका श्रमिकों के नियोजन को विनियमित करते हैं। ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 का नियम 25(2)(V)(क) निम्नलिखितानुसार समानता की व्यवस्था करता है:

“उन मामलों में जहां ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकार प्रतिष्ठान के प्रधान नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियोजित कर्मकारों के समान या समान प्रकृति का कार्य करते हैं तो ठेकेदार के कर्मकारों की मजदूरी की दरें, अवकाश, कार्य के घंटे और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो एक ही या समान प्रकृति का काम करने वाले प्रतिष्ठान के प्रधान नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियोजित कर्मकारों के लिए लागू हैं।”

ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 का प्रवर्तन करने के लिए एक सुव्यवस्थित केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र(सीआईआरएम) स्थापित है। मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के नियंत्रणाधीन उप मुख्य श्रमायुक्तों (केन्द्रीय) और क्षेत्रीय श्रमायुक्तों (केन्द्रीय) के देश-व्यापी नेटवर्क को उक्त अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार ठेका श्रमिकों की शिकायतें/दावे निपटाने का अधिदेश है ।

(ङ): संगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 अधिनियमित किए हैं।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है जिसमें (i) जीवन और अपंगता छत्र, (ii) स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ, (iii) वृद्धावस्था संरक्षण तथा (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से निर्धारित किए जाने वाले अन्य किसी लाभ से संबंधित मामलों पर असंगठित कामगारों के लिए समुचित कल्याण योजनाओं का निर्माण उपबंधित है। असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा छत्र प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न स्कीमें उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची-I में सूचीबद्धानुसार हैं।

केन्द्र सरकार ने विशेष रूप से असंगठित कामगारों को लक्षित करते हुए सभी नागरिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी आरंभ की हैं।

*****